आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
31.10.2023	**वाद सं0–58/2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्री संजय कुमार साहु, वर्तमान पता–टाटी सिल्वे, राँची आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से श्री सौरभ सिन्हा, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, नामकुम, राँची आयोग कार्यालय में उपस्थित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची के प्रतिनिधि के तौर पर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, नामकुम उपस्थित है। शिकायतकर्त्ता का कहना है कि उन्हें उनके बकाया 300 कि0ग्रा0 अनाज की जगह मात्र 52 कि0ग्रा0 अनाज उपलब्ध कराया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को प्रेषित अपने प्रतिवेदन में भी सिर्फ इस बात का उल्लेख किया है कि शिकायतकर्त्ता को 52 कि0ग्रा0 अनाज उपलब्ध कराया गया है। आयोग इसे जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची की घोर लापरवाही मानता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची को इस बात का उल्लेख करना चाहिये था कि शिकायतकर्त्ता को 52 कि0ग्रा0 अनाज कितने माह का उपलब्ध कराया गया है। आयोग को शिकायतकर्त्ता द्वारा समर्पित उपलब्ध नहीं कराये गये अनाज की विवरणी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, नामकुम को उपलब्ध कराते हुए निर्देश दिया जाता है कि वो जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची को यह विवरणी उपलब्ध करा दें, और शिकायतकर्त्ता को जितने दिनों का अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया है। उतने दिनों और उतनी मात्रा और शेष बची मात्रा का अनाज उपलब्ध करा कर ऐसा कर दिये जाने का प्रमाण अगले सुनवाई में प्रस्तुत करें। आयोग के आज के आदेश के अनुपालन का प्रमाण यदि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची ने अगली सुनवाई में आयोग को प्रस्तुत नहीं किया तो आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची के विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई करने को बाध्य होगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–17.11.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–17.11.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। G:\Rachana jsfc\Court order.docx11	

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267